POSTAL REG. NO. RJ/JPC/M-17/2012-14 (RNI.REG.NO. 39658/1983) # ग्रा.ग./2012/अंक 08 कृपया इसे चौराहे पर चिपकाइये

मासिक प्रेषण दि. 8 अगस्त, सी.एस.ओ., आरएमएस गाँधी नगर, जयपुर-15

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

8 अगस्त, 2012 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम! सरकार के कुप्रबन्धन के चलते देश की जनता महंगाई से पिस रही है। राजनेताओं की गैरजिम्मेदारी और कुतर्क आम जन को अखरने लगे हैं और उन्हें गहरी चुभन दे रहे हैं। किसानों की कड़ी मेहनत से पैदा हुआ लाखों टन अनाज बरसात में भीगकर सड़ जाता है।

काश! इसे गरीबों में ही मुफ्त बांट दिया होता...। कम से कम उनको दो वक्त की रोटी तो नसीब हो जाती।

लेकिन नहीं, नेताओं को न्याय पालिका रास्ता दिखाए, उन्हें मंजूर नहीं। वे तो गरीबी की परिभाषा गढ़ने में लगे हैं। सबके लिए खाद्य सुरक्षा की बात करते हैं। महंगाई उन्हें कहीं दिखाई ही नहीं देती?

यह कैसी विडम्बना है एक ओर सरकार किसानों को अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करती है। इसके लिए कई रूपों में अनुदान और सहायता भी उपलब्ध कराती है। लेकिन अच्छी फसल पैदा करने के बावजूद धरतीपुत्र सदा ठगा जाता है।

उसे मेहनत का पूरा प्रतिफल तक नहीं मिलता। बाजार में बिचौलिए अपनी झोली भरते हैं, तो सरकारी खरीद में भी वह कुप्रबन्धन और अनियमितताओं का शिकार बनता है।

देश को आजाद हुए 65 साल बीत गए। लेकिन देश में हर साल जितना खाद्यान्न पैदा होता है उसके भंडारण और सही प्रबन्धन की क्षमता हमारे पास नहीं है। नतीजतन अनाज खुले में पड़ा रहता है और बरसात अथवा बाढ़ से बर्बाद हो जाता है। इस बर्बादी को रोकने के लिए सरकार चाहे तो 'मनरेगा' के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर अनाज भंडारण के गोदाम तैयार हो सकते हैं।

अपनी सम्पत्ति की सुरक्षा चाहते हैं, तो वसीयत जरूर लिखें!

गांवों में कम पढ़े-लिखे लोग वसीयत लिखना नहीं जानते। वसीयत का अर्थ है किसी व्यक्ति द्वारा अपनी सम्पत्ति के बटवारे के बारे में अपनी इच्छा की लिखित, कानूनी व वैधानिक घोषणा करना। हर पुरूष व महिला को अपनी इच्छा के मुताबिक वसीयत करने व लिखने का अधिकार कानून में दिया गया है।

- वसीयत खुद लिखी जा सकती है या अनपढ़ होने पर किसी विश्वासपात्र व्यक्ति से लिखवाई जा सकती है। लिखवाने के बाद उसे ध्यान से दुबारा पढ़ाकर सुनना चाहिए। इसके बाद अपने हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी करनी चाहिए। वसीयत सादा कागज पर भी लिखी जा सकती है। वसीयत लिखने व लिखाने वाला व्यक्ति स्वस्थ्य चित्त होना चाहिए।
- वसीयत पूरी तरह से लिखाने के बाद उस पर दो जानकार व्यक्तियों के हस्ताक्षर कराने चाहिए। वसीयत का सुरक्षा की दृष्टि से पंजीयन भी करा सकते हैं। वसीयत करने वाला व्यक्ति जब चाहे अपनी वसीयत को परिवर्तित भी कर सकता है। वसीयत करते समय यह खास तौर से ध्यान में रखना चाहिए कि उसकी सम्पत्ति सही लोगों के पास जा रही है।
- यदि वसीयत नहीं की गई हो, तो ऐसी सम्पत्ति पर उस व्यक्ति के लड़के-लड़कियों को बराबर सम्पत्ति प्राप्त करने का हक कानून में दिया गया है। पुराने कानून में लड़कियों का सम्पत्ति में हिस्सा नहीं था, लेकिन अब उन्हें सम्पत्ति में बराबर की सम्पत्ति प्राप्त करने का हक दिया गया है।

बीमा कम्पनी किसान को खराब हुई फसल का मुआवजा दें

डूंगरपुर जिले के तलोराई गांव के डालजी किसान ने अपने खेत में लगाई गई फसल का बीमा जयपुर स्थित एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कम्पनी ऑफ इण्डिया से कराया था। उन्होंने समय पर इन्श्योरेन्स कम्पनी को बीमा प्रीमियम राशि का भुगतान भी किया। लेकिन फसल के खराबे पर उन्होंने इन्श्योरेन्स कम्पनी से जब मुआवजा मांगा, तो कम्पनी ने मुआवजा देने से इन्कार कर दिया। उन्होंने कम्पनी के खिलाफ उपभोक्ता जिला मंच डूंगरपुर में परिवाद दायर किया। मंच ने सुनवाई के बाद उनके पक्ष में फैसला सुनाया।

इन्श्योरेन्स कम्पनी की ओर से फैसले के खिलाफ राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील दर्ज कराई गई। सुनवाई पर आयोग ने कम्पनी की ओर से दी गई दलीलों को ठीक नहीं पाया एवं जिला मंच द्वारा दिए गए फैसले को सही माना। आयोग ने माना कि जब किसान ने बीमा प्रीमियम जमा कराया है तो वह फसल के खराबे पर मुआवजा पाने का भी हकदार है। राज्य आयोग ने इस टिप्पणी के साथ कम्पनी की ओर से दायर अपील को खारिज कर दिया और एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कम्पनी ऑफ इण्डिया को आदेश दिया कि वह डालजी किसान को मुआवजे के तौर पर 56 हजार 800 रुपए अदा करे। साथ ही उन्हें 5000 रुपए हर्जाने स्वरूप भी दें।

'मनरेगा' है सर्वाधिक लोकप्रिय और सफल योजना

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मान लिया है कि मनरेगा योजना जिस तरह से क्रियान्वित हो रही है उससे सरकार पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हैं। यह ही नहीं योजना का समानांतर मूल्यांकन 'ठीक से नहीं' हो रहा है। मजदूरों को भुगतान में देरी हो रही है।

प्रधानमंत्री ने ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट 'मनरेगा समीक्षा' जारी करते हुए कहा कि यह योजना केन्द्र सरकार की सर्वाधिक लोकप्रिय और सफल योजना है। लेकिन इसमें अब भी खामियां हैं जिन्हें दूर किया जाना जरूरी है।

योजना में पंचायती राज संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। सरकार पंचायतों को केवल संसाधन उपलब्ध कराती है, ताकि वे प्रभावी तरीके से योजनाओं को अमलीजामा पहना सके। अगर ये संस्थाएं समस्याओं के निदान में तत्पर हो जाएं तो मनरेगा कार्यक्रम देश के लिए एक तोहफा साबित होगा।

क्रियान्वयन में हो रहा है भ्रष्टाचार

सरकार ने यह भी माना है कि मनरेगा के क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार हो रहा है। इसे दूर करने के लिए प्रयास करने की जरूरत है। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने कहा कि मनरेगा की उपलब्धियां बेहतरीन है, लेकिन उसके क्रियान्वयन में सुधार जरूरी है। पैसे और संसाधनों के इस्तेमाल में अनियमितता को लेकर लोगों में चिंता व्याप्त है। उन्होंने कहा कि ग्राम सभा की ओर से सोशल ऑडिट को अनिवार्य करने और कैग द्वारा मनरेगा की कार्यकुशलता (परफॉर्मेंस) ऑडिट कराने से भ्रष्टाचार में कमी आएगी।

राज्य सरकार कर रही है मनरेगा की अनदेखी

राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की सदस्य अरुणा राय ने कहा है कि राजस्थान में मनरेगा पर सरकार ने खर्च कम कर दिया है। प्रदेश में इस योजना के तहत पिछले सालों की तुलना में मिलने वाले रोजगार एक तिहाई ही रह गए हैं। सरकार मनरेगा की अनदेखी कर रही है। उन्होंने यह जानकारी राज्य के मुख्य सचिव से मुलाकत के बाद मीडिया को दी।

उनकी अगुवाई में रोजगार और सूचना का अधिकार अभियान से जुड़े कार्यकर्ताओं ने मुख्य सचिव से मिलकर मनरेगा में फार्म नम्बर 6 नहीं मिलने की भी शिकायत की। सामाजिक कार्यकर्ता शंकर सिंह ने कहा कि सरकार जानबूझकर मनरेगा में रोजगार के लिए फार्म नम्बर 6 उपलब्ध नहीं करवा रही।

उन्होंने कहा कि सरकार लोगों को काम नहीं देना चाहती। नरेगा में आवेदन के 15 दिन में रोजगार नहीं देने पर भत्ता देना होता है। ऐसा लगता है राज्य सरकार ने रणनीति बनाई है कि फार्म ही मत दो ताकि लोग आवेदन ही नहीं कर पाएं।

जानलेवा है माताओं में खून की कमी

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार महिलाओं में खून की कमी माताओं और गर्भस्थ शिशु की मौत का सबसे बड़ा कारण है। गर्भवती महिलाओं को सही मात्रा में संतुलित आहार नहीं मिलने से शरीर में हीमोग्लोबीन की कमी हो जाती है। इससे गर्भ में पल रहे शिशु को सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती।

प्रदेश के बड़े अस्पतालों में गर्भस्थ शिशु की धड़कन नापने के पल्स ऑक्सीमीटर व फिटोस्कोप उपकरणों की कमी के चलते शिशुओं की मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं। पिछले आठ महीनें में प्रदेश की राजधानी जयपुर में ही एक हजार से भी ज्यादा गर्भस्थ शिशुओं की मौत हो चुकी है। अन्य जिलों में स्थिति क्या होगी, इससे अन्दाजा लगाया जा सकता है।

जननी सुरक्षा योजना की खैर-खबर

सरकार की ओर से शुरू की गई जननी सुरक्षा योजना के तहत प्रसुताओं को योजना का लाभ मिल रहा है या नहीं इसकी जानकारी अब विभाग मोबाइल से प्राप्त करेगा। अब सरकारी अस्पतालों में आने वाली गर्भवती महिलाओं से भरवाए जाने वाले हर फार्म पर उसके या उसके परिजनों के मोबाइल नम्बर लिखना अनिवार्य कर दिया गया है।

इन नम्बरों पर जयपुर में बैठे निदेशालय के अधिकारी समय-समय पर सम्पर्क कर सेवाओं की जानकारी लेते रहेंगे। अस्पतालों में जांच सुविधा होने के बावजूद जो डॉक्टर महिलाओं को विभिन्न जांच के लिए निजी केन्द्रों या अस्पतालों में भेजेंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही होगी। इस बारे में निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

पशुओं की दवाएं मिलेंगी मुफ्त

मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण योजना की तर्ज पर राज्य सरकार 15 अगस्त से प्रदेश में पशुधन की दवाइयां भी मुफ्त वितरण करने की शुरुआत करेगी।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश में सैकडों पशुपालक और किसान आर्थिक स्थिति के चलते पशुओं का सुचारू इलाज नहीं करवा पा रहे हैं। इससे उन्हें काफी नुकसान भी उठाना पड़ता है। ऐसे में पशुपालकों और किसानों के लिए यह योजना काफी लाभदायक सिद्ध होगी।

मुख्यमंत्री ने जयपुर में दादी का फाटक रेलवे ओवरब्रिज शिलान्यास पर आयोजित समारोह में यह घोषणा करते हुए साफ किया कि इस योजना की शुरुआत 15 अगस्त से ही हो जाएगी।

शौचालय निर्माण पर मिलेंगे 9100 रुपए

निर्मल ग्राम अभियान के तहत केन्द्र सरकार ने अब टॉयलेट निर्माण के लिए राशि दोगुनी से भी ज्यादा कर दी है। मुख्यमंत्री बीपीएल आवास योजना और इंदिरा आवास योजना के तहत बनाए जाने वाले आवासों के साथ व्यक्तिगत टॉयलेट बनाने के लिए सहायता राशि अब 9100 रुपए मिलेगी।

ग्रामीण विकास विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार पहले प्रति इकाई अनुदान राशि 2200 रुपए प्रत्येक को दी जाती थी। अब इसके स्थान पर 4600 रुपए दिए जाएंगे।

इसी प्रकार मनरेगा के तहत निर्माण का सहयोग पहले 1200 रुपए तक था, जिसे बढ़ाकर 4500 रुपए कर दिया गया है। यह राशि मस्टररोल के अनुसार 20 अकुशल श्रमिकों और 6 कुशल श्रमिकों के रूप में दी जाएगी।

अब हर बच्चा लगाएगा एक पेड़

राजस्थान में पर्यावरण को मजबूत बनाने के लिए स्कूली बच्चों को जोड़ने की एक अनूठी पहल की गई है। इसके तहत कक्षा पांचवीं से आठवीं तक के राज्य के अस्सी लाख विद्यार्थी अब पेड़ लगाकर हरित राजस्थान के सपने को साकार करने में प्रमुख भूमिका निभाएंगे। उन्हें हर साल एक पेड़ लगाने और उसकी नियमित देखभाल की पुख्ता व्यवस्था करनी होगी।

इस कार्य का विद्यार्थी की वार्षिक मूल्यांकन की प्रगति रिपोर्ट में आवश्यक रूप से इन्द्राज व उल्लेख करना होगा। प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय ने इसके लिए निर्देश जारी कर दिए हैं।

जरूरी है बरसात के पानी का संग्रहण

प्रदेश में पेयजल की कमी को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरपंचों को पत्र लिखकर बरसात के पानी को संरक्षित करने के उपाय करने को कहा है। उन्होंने गांवों में इसे एक जन आन्दोलन का रूप देने की अपील भी की है। इस पत्र की प्रति जिला प्रमुखों और प्रधानों को भी भेजी गई है।

मुख्यमंत्री ने पत्र में टांकों की सफाई कराने, जल संरक्षण की रचनाओं में छत से टांके तक आने वाले पाइपों की मरम्मत कराने, ज्यादा से ज्यादा घरों में सामुदायिक स्तर पर टांके बनवाने, नकारा हैण्डपंप और ट्यूबवेलों का उपयोग भूजल पुनर्भरण के लिए करने का सुझाव दिया है।

किसान कार्ड अब बनेगा स्मार्ट कार्ड

प्रदेश के बैंकों ने किसानों को ऐसे कार्ड देने की तैयारी कर ली है, जिसके जरिए कृषि उत्पादों की खरीद-फरोख्त एटीएम के साथ मॉल्स में लगी स्वैप मशीनों से भी की जा सकेगी। इस कार्ड को स्मार्ट कार्ड का नाम दिया गया है और बैंकों ने इसी वित्त वर्ष से इसे किसानों को देने की योजना पर अमल शुरू कर दिया है।

किसानों तक यह कार्ड सितम्बर तक पहुंच सकता है। अब तक किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए खरीददारी करते आए हैं। अब यह कार्ड डेबिट और क्रेडिट दोनों रूप में काम करेगा।कार्ड के साथ पासबुक भी जारी की जाएगी। पासबुक में लेन देन की प्रविष्टियां दर्ज होंगी। यह भारत सरकार की योजना है। इसमें क्रेडिट की सीमा 75 हजार रुपए से बढ़ा कर एक लाख कर दी गई है।

केरोसिन सब्सिडी सीधी खाते में जमा

उदयपुर, अजमेर, और अलवर जिले के उपभोक्ताओं को केरोसिन पर मिलने वाली सब्सिडी की राशि अगस्त माह से सीधे खाते में मिलेगी। अभी उपभोक्ताओं को राशन के जरिए केरोसिन साढ़े तेरह रुपए प्रति लीटर मिल रहा है।

इस व्यवस्था से एक लीटर पर अगस्त माह से उन्हें करीब 45 रुपए खर्च करने होंगे। उपभोक्ताओं के खाते खुलवाने का काम लीड बैंक 31 जुलाई तक पूरा करेगा। इससे पहले ऑयल कंपनी को उपभोक्ताओं की सूची बैंकों को देनी होगी।

लाभदायक है मुफ्त दवा योजना

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में लागू की गई मुफ्त दवा योजना से सभी लोग लाभान्वित हो रहे हैं। पहले कई गरीब व जरूरतमंद लोग डॉक्टरों द्वारा लिखी दवाएं महंगी होने के कारण खरीद नहीं पाते थे। लोगों की यह शिकायत भी थी कि चिकित्सक कमीशन के चक्कर में गैरजरूरी दवाएं पर्ची में लिखते हैं।

अब चिकित्सक निःशुल्क मिलने वाली व सस्ती जेनेरिक दवाएं लिखने लगे हैं। इससे लोगों में चिकित्सकों के प्रति विश्वास बढ़ा है और आम आदमी द्वारा दवाओं पर किए जाने वाले खर्च में कमी आई है। - ऊषा मेघवाल, जालौर

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कद्दू' जयपुर